



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सरोज

KRISHNA KUMAR X 349498
॥ जय माता दी ॥

पट्टा स्पाद 30 साल
भूमाडा—5,000/- रुपये सालाना
मालियत—30,000/- रुपये
स्टाम्प—600/- रुपये
क्षेत्र उपनिवन्धक द्वितीय मथुरा।

हम कि श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा अध्यक्षा श्रीमती सरोज सोलंकी पत्नी श्री निरंजन सिंह निवासी—ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा व मौ रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा के द्वारा अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी—ओल, जिला मथुरा मो—9045011557 (पट्टादाता प्रथमपक्ष एवं श्रीमती आर०डी० पब्लिक स्कूल ओल मथुरा द्वारा संचालित आर०डी० एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित निरंजन सिंह सोलंकी पुत्र श्री सोवरन सिंह निवासी—ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा मो—9897719104 पट्टेदार द्वितीयपक्ष के हैं। विदित हो कि एक किता सम्पत्ति क्षेत्रफल—9018 वर्गगज बराबर—7540 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है।

पूरब — जमीन रघुनाथ सिंह

पश्चिम — जमीन नारायन सिंह

उत्तर — सड़क

दक्षिण — जमीन ग्राम समाज व अन्य जमीन

रिथत गौजा—ओल, तहसील व जिला मथुरा जो खुसरा नम्बर—1246/2 व 2457 व 2460 व 2462 व 2458 की भूमि के भाग में स्थित है। उक्त सम्पत्ति आबादी में स्थित है, तथा विकास शुल्क सीमा के बाहर स्थित है। उक्त जमीन को प्रथमपक्ष पट्टादाता ने बजरिये पैंच किता पंजीकृत बैनामा प्रथम बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक—14.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द—1643 के पृष्ठ—295—346 में नम्बर—11071 को हुई दर्ज है, व प्रथम बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक—14.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द—1643 के पृष्ठ—295—346 में नम्बर—11071 को हुई दर्ज है, व द्वितीय बैनामा इकरारी जीलानी पुत्र श्री सुमानी से दिनांक—30.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द—1654 के पृष्ठ—253—364 में नम्बर—11394 को हुई दर्ज है, व तृतीय बैनामा इकरारी चरन सिंह पुत्र श्री सामन्ता से दिनांक—10.09.2009 जिसकी

सरोज

KRISHNA

KRISHNA

आवेदन सं.: 201900764008021

पट्ट विलख क्रमांक सामा

जनवरी २०१९

22 FEB 2019

वही सं.: ।

क्रम सं. परिस्त्रेशन सं.: 2496

वर्ष: 2019

नाम श्री

प्रतिफल- 30000 रुपये शल्क - 600 प्रतिलिपिकरण शल्क - 40 घोग - 640

श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मधुमा द्वारा दायालय चला
सरोज सोलकी अधिकृत पदाधिकारी है।
पत्नी श्री निरेजन सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: ग्राम ओल तहसील व ज़िला मधुमा

श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मधुमा द्वारा

सरोज सोलकी अधिकृत

दायालय कार्यालय

न यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.02.2019

एवं 12:08:24 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।



05 FEB 2019

राजस्त्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक सदर द्वितीय

मधुमा

25.02.2019

अमर कौथ उपाध्याय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियोमित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

BV 020501

रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द- 3403 के पृष्ठ- 245-268 में नम्बर-7674 को हुई दर्ज है, व चतुर्थ बैनामा इकरारी श्रीमती नगीना पल्ली श्री लियागत से दिनांक- 07.06.2010 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-3546 के पृष्ठ-107-136 में नम्बर-5567 को हुई दर्ज है, व पॉचवा बैनामा इकरारी श्री सुमेरी पुत्र श्री सामन्ता से दिनांक- 08.12.2011 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर एक जिल्द-4525 के पृष्ठ-25-50 में नम्बर-13863 को हुई दर्ज है, पट्टादाता प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति की बाबत हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त है। अतः अपने अधिकार का प्रयोग करके लाभार्थ स्थाई आव हेतु उक्त सम्पत्ति को 30 साल के कॉलेज हेतु पट्टे पर देना तय किया है। सौभाग्य से द्वितीयाक्ष उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर लेने के तैयार हैं।

1. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष ने पट्टेदार द्वितीयपक्ष को दिनांक- 25.02.2019 से 30 साल की अवधि हेतु उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर दिया है। और पट्टेदार द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 30 साल के लिये पट्टे पर लेना स्वीकार किया है। जिसके हम दोनों पक्षकारणगण व उनके कायम मुकामान वारिसान व स्थानापन्न अन्तरिती सदैव पाबन्द होंगे।
2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का भूमाड़ा 5000/- रुपये सालाना तय करार पाया जाता है। जिसके पट्टेदार द्वितीयपक्ष, पट्टादाता प्रथमपक्ष को बजरिये रसीद साल के साल अदा करता रहेगा। अदम अदाय किराया 3 साल पट्टादाता प्रथमपक्ष को भूमाड़ा वसूल करने का अधिकार होगा। परन्तु किसी भी दशा में पट्टादाता प्रथमपक्ष व उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसानों पट्टेदार को अथवा उसके स्थानापन्न को बेदखल न कर सकेंगे।
3. यह कि कब्जा व वदखल पट्टादाता प्रथमपक्ष में वर्णित सम्पत्ति से अपना हटाकर पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वास्तविक रूप से पट्टेदारान का करा दिया। पट्टेदार द्वितीयपक्ष वर्णित सम्पत्ति पर कविज होकर नक्शा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करावे व नव निर्माण करावे। पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वर्णित सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त हो गये जो सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्राविधिकों में पट्टेदार द्वितीयपक्ष के लिये वर्णित हैं।
4. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष अपने हक्क का अन्तरण करने को सक्षम होंगे। जिसमें पट्टादाता प्रथमपक्ष या उसके स्थानापन्न को कभी कोई उज्ज्वल वारिज हॉसिल न होगा।
5. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष या पट्टेदार द्वितीयपक्ष की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को वहीं अधिकार हॉसिल होंगे जो पूर्व पट्टादाता / पट्टेदार को प्राप्त थे।
6. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष सम्पत्ति की बाबत तय किये भूमाड़े को उचित समय व उचित स्थान पर पट्टादाता या उसके अधिकृत एजेंट को अदा करेगा।
7. यह कि पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार या स्थानापन्न पट्टादाता या उसके स्थानापन्न को सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करेगा जिस स्थिति में ली थी, उसी स्थिति में देगा।
8. यह कि पट्टा दिनांक 25.02.2019 से प्रभावी हो गया।

२१ रु. ०५

147501

KMSolanki



आवेदन सं.: 201900764008021

बही सं.

रजिस्ट्रेशन सं.: 2496

तिथि: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने का सम्बन्धीय नियम अपाप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
पदाधाता: इटाम्य

क्रम सं.

श्रीमति रामदलाली कौरेज ओल मथुरा के द्वारा सरोज सोलकी
नाम श्री पति श्री निरंजन सिंही

संलग्न सं.

निवासी ग्राम ओल तहसील के ज़िला मथुरा
व्यवसाय: आरोग्य मथुरा

पटा दाता: २

संख्या २ FEE 2019



श्री माँ रामदलाली कौरेज ओल के द्वारा कृष्णवीर सिंह, पुत्र श्री
निरंजन सिंह



निवासी ओल ज़िला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पटा गृहीता: ।

श्री आर०डी० प्रालिक स्कूल ओल द्वारा संचालित आर०डी०
एज्युकेशनल एण्ड वेलफेर सोसायटी के द्वारा निरंजन सिंह
सोलकी, पुत्र श्री सोवरन सिंह



निवासी ग्राम ओल तहसील के ज़िला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: ।

श्री हरिश कंठ, पुत्र श्री रत्नेशम



निवासी चाकीपुर कलां मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: २

श्री राजाराम शर्मा, पुत्र श्री बद्रीप्रसाद



निवासी चन्द्रपुरी कॉलोनी थोलीप्पाऊ मथुरा


व्यवसाय: अन्य

मेरी प्रत्यक्षता-भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
रिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रेकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डे
द्वारा निबंधक सदर द्वितीय
मथुरा

अमर नाथ उपाध्याय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन), नियमित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

BV 020502

- 9. यह कि द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड पर अपने स्कूल हेतु प्रयोग के लिये जिस प्रकार से भी निर्माण करावेयर्गे वह करवा सकेंगे। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
- 3. यह कि द्वितीयपक्ष इस सम्पत्ति पर अपने नाम से विजली आदि के कर्नैक्षण लें व सम्बन्धित विभागों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करें। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा मन इन्द्रिय तुद्धि की स्वस्थ अवस्था में बिना खाये या सुधे किसी नशीली वस्तु के यह पटटा विलेख म्याद 30 साल के लिये दोनों पक्षकारगण ने दो गवाहान के समक्ष अपने—अपने हस्ताक्षर करके लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे और पंच—पंचायत अदालत में निष्चयात्मक साक्ष्य में ग्रहण किया जावे। उक्त सभी खसरा नम्बरों में धारा 143 आबादी घोषित हो चुकी है।

स.रो. ५

765301

765301

दिनांक—25.02.2019
टाइप किया—मु० इमरान
ड्राफ्ट किया—चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट मथुरा।

गवाह—हरिशचंद पुत्र श्री रतीराम
निवासी—चाकीपुर कलां मथुरा



गवाह—राजाराम शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
निवासी—चन्द्रपुरी कॉलैनी, धौलीपाल मथुरा
मो०—9412226244



आवेदन सं.: 201900764008021

बही संख्या । जिल्द संख्या ०३५६ के पृष्ठ २४ से २५ तक क्रमांक
२४९६ पञ्चदिनाँक २५/०२/२०१९ को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

नाम श्री..... श्री.....
संलग्न सं. ४ निवासी

स्थान विक्रेता
इच्छा प्रकाश मिशन ला० न० ३/२००५/०८
रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
25/02/2019